राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/जैसलमेर/2014पार्ट जयुपर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

जैसलमेर जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

जिला–जैसलमेर

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र0स0	पंचायत समिति/नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/वार्ड नं.	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	सम	रामगढ	रामगढ	राउमावि रामगढ	राबाप्रावि रामगढ
2	सम	सोनू	सोनू	राउमावि सोनू	राप्रावि सादा जी की ढाणी
3	जैसलमेर	नाचना	नाचना	राबाउमावि नाचना	राबाउप्रावि नाचना कॉलोनी
4	पोकरण	पांची का तला	पांची का तला	राउमावि पांची का तला	राप्रावि पांची का तला
5	सांकडा	पदमपुरा	पदमपुरा	राउमावि पदमपुरा	रा शिक्षाकर्मी प्रा0वि पदमपुरा
6	सांकडा	जैमला	जैमला	राउमावि जैमला	रा शिक्षाकर्मी प्रा0वि जैमला
7	सांकडा	सांकडा	17	राबाउमावि पोकरण	राबाउप्रावि छोटा देवी
8	जैसलमेर	जैसलमेर	1	राउमावि जैसलमेर	राउप्रावि नं0 4 जैसलमेर
9	सांकडा	पोकरण	9	राउमावि पोकरण	राप्रावि वार्ड नं0 15
10	जैसलमेर	श्री मोहनगढ	श्री मोहनगढ	राबामावि श्री मोहनगढ	राप्रावि खानपुरा
11	सांकणा	खेलाना	खेलाना	रामावि खेलाना	रा शिक्षाकर्मी प्रावि खेलाना
12	जैसलमेर	जैसलमेर	11	रामावि जैसलमेर	राउप्रावि नं0 2 दुर्ग
13	सांकडा	सांकडा	सांकडा	रामावि मंगलपुरा	राप्रावि मंगलपुरा

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगाः–

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।